भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1460

उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019

महिलाओं के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय

1460. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री केसिनेनी श्रीनिवासः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितने महिला महाविद्यालय/विश्वविद्यालय संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यरत हैं;

(ग) क्या वर्तमान महिला महाविद्यालयों में पर्याप्त अवसंरचना और शिक्षकों की संख्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में इन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की संख्या में कमी को देखते हुए महिलाओं के लिए अधिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय और होस्टल खोलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत महिलाओं के लिए अधिक इमारतें बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु, 'बालिका शिक्षा' से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (सीएबीई) की उप-समिति का गठन किया गया था। समिति ने प्रत्येक राज्य में महिलाओं के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में महिलाओं के लिए 16 विश्वविद्यालय और 3950 महाविद्यालय बालिकाओं के लिए हैं। महिला महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा **संलग्नक-I** पर उपलब्ध है। मौजूदा महिला महाविद्यालयों में अवसंरचना से संबंधित जानकारी **संलग्नक-II** पर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा तक पहुंच, समानता और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु केन्द्र की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान तिथि तक, योजना के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रो में 342 महिला महाविद्यालयों और 7 महिला विश्वविद्यालयों को इन संस्थाओं में छात्रावासों के निर्माण सहित अवसंरचना हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की संस्वीकृति प्रदान की गई है। इन संस्थाओं के लिए विभिन्न घटकों जैसे मॉडल डिग्री कॉलेज (एमडीसी), नये कॉलेज (व्यावसायिक और तकनीकी) की स्थापना, एमडीसी तक कॉलेजों के उन्नयन, मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय में प्रोन्नत करने, समानता पहलों, कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान, विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान इत्यादि के लिए निधियां अनुमोदित की गई हैं।

*****

संलग्नक I

महिलाओं के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के संबंध में दिनांक 1 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1460 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

महिला विश्वविद्यालयों/महिला महाविद्यालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा

	क्र.सं.	**राज्य**	**महिला विश्वविद्यालय**	**महिला महाविद्यालय**
	1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
	2	आंध्र प्रदेश	1	167
	3	अरुणाचल प्रदेश	-	1
	4	असम	1	36
	5	बिहार	1	70
	6	चंडीगढ़	-	7
	7	छतीसगढ़	-	50
	8	दादर और नगर हवेली	-	1
	9	दमन और दीव	-	1
	10	दिल्ली	1	28
	11	गोवा	-	2
	12	गुजरात	-	185
	13	हरियाणा	1	162
	14	हिमाचल प्रदेश	1	29
	15	जम्मू और कश्मीर	-	16
	16	झारखंड	-	27
	17	कर्नाटक	1	258
	18	केरल	-	73
	19	लक्षद्वीप	-	-
	20	मध्य प्रदेश	-	133
	21	महाराष्ट्र	1	332
	22	मणिपुर	-	9
	23	मेघालय	-	5
	24	मिजोरम	-	-
	25	नगालैंड	-	2
	26	ओडिशा	1	98
	27	पुडुचेरी	-	5
	28	पंजाब	-	181
	29	राजस्थान	3	637
	30	सिक्किम	-	-
	31	तमिलनाडु	2	387
	32	तेलंगाना	-	255
	33	त्रिपुरा	-	2
	34	उत्तराखंड	1	24
	35	उत्तर प्रदेश		669
	36	पश्चिम बंगाल	1	98
		कुल	**16**	**3950**

संलग्नक **II**

महिलाओं के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के संबंध में दिनांक 1 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1460 के उत्तर के भाग (क) से (ङ.) में उल्लिखित विवरण

मौजूदा 3950 महिला महाविद्यालयों में अवसंरचना और संकाय संख्या का विवरण

अवसंरचना का प्रकार	**महाविद्यालयों की संख्या**
खेल का मैदान	3665
सभागार	2443
थिएटर	748
पुस्तकालय	3875
प्रयोगशाला	3303
सम्मेलन हॉल	3054
स्वास्थ्य केंद्र	1785
जिम फिटनेस	1384
इंडोर स्टेडियम	1355
सामूहिक कक्ष	3539
कंप्यूटर केंद्र	3401
काफ़ी हाउस	2246
अतिथि गृह	1518